न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 61/2020

धूणीलाल बुनकर पुत्र महोदव प्रसाद बुनकर उम्र 47 वर्ष जाति बुनकर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र महादेव उम्र 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. उपपंजियक उपपंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 03/11/2001 ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर

निर्णय

दिनांक 29.12.2020

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 03/11/2001 ढाणी गैसकान तस्दीक द्वारा तहसीलदार विराटनगर से व्यथित होकर अपील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य अपीलान्ट द्वारा अपील में निम्नभांति पेश हैं :–

1. यह है कि अपीलार्थी के पिता महादेव के नाम वाके ग्राम ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर में खातेदारी भूमि थी जो महोदव, छोटू पिता सेवला के नाम से जो खाता संख्या 84 में दर्ज थी जिसके खसरा नम्बर 77/0.12, 78/0.06, 79/0.47, 80/0.40 कुल किता 4 रकबा 1.05 हैक्टर जो बाद में सडक में जाने से रकबा 0.9638 है0 ही रह गया।
2. यह है कि अपीलार्थी के पिता महादेव का दिनांक 22/10/2001 को स्वर्गवास हो गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 03/11/2001 को तहसीलदार विराटनगर द्वारा भरा गया जिसमें अपीलार्थी का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने नहीं डलवाया और अपीलार्थी को कहा कि अपन भाई है और तेरे से मौके पर मैने जमीन दे रखी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के इस कथन का भरोसा कर अपीलार्थी ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 की कोई भी अपील वगैरह नहीं की।
3. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान से मेल जोल रखता था इसलिए मृत्यु प्रमाण–पत्र के पिछे सजरा खानदान बनाया गया उसमें अपीलान्ट का नाम नहीं दिया क्योंकि अपीलार्थी की मा से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता से शादी ना करके उससे नातेदारी सम्बन्ध स्थापित किये थे जिसके दौरान अपीलार्थी का जन्म हुआ था

Scanned with CamScanner

क्योंकि अपीलार्थी की मॉ गंगा देवी मूल रूप से महादेव के भाई रूडा की पत्नी थी, लेकिन रूडा के स्वर्गवास होने के बाद अपीलार्थी की मॉ गंगा देवी का महादेव से नाता कर दिया था जिस दौरान अपीलार्थी महादेव का पुत्र बना और महादेव की सम्पत्ति में अपीलान्ट का अधिकार उत्पन्न हुआ। अपीलार्थी का जन्म पहले हुआ और रेस्पोडन्ट संख्या 01 का जन्म बाद में हुआ है। इसलिए मूल रूप से महादेव का असली उत्तराधिकारी अपीलार्थी ही है, लेकिन मृत्यु प्रमाण–पत्र के पिछे जो कुर्सीनामा बनता है उसमें अपीलार्थी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पढा लिखा एवं साक्षर व्यक्ति है जो तत्कालीन समय से वार्ड पंच रहा है। अपीलार्थी की सहमति से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पगडी बन्धी थी क्योंकि अपीलार्थी की माता गंगादेवी से नाता हुआ था और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की मां विवाहिता होकर आई थी। इसलिए समाज व परिवार के लोगों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पगडी बंधवाई थी ओर यह तैय कर दिया था कि सम्पूर्ण जमीन जायदाद में दोनों का आधा–आधा करेगा इसी आधार पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है।

4. यह है कि अपीलार्थी ने कई बार भरसक कौशिश की लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्रा.पं. ढाणी गैसकान से अपीलार्थी का सजरा खानदान नहीं बनने दिया। अपीलार्थी ने अपील के साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणी गैसकान का एक दस्तावेजात् पेश किया है, जिससे अपीलार्थी के पिता का महादेव प्रसाद बुनकर और मॉ का नाम गंगा देवी है, जिसमें अपीलार्थी का जन्म 15/7/1973 है एवं पिता का नाम महादेव है।

5. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम जो अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 77, 78, 79 व 80 जो नम्बर है, जिनको अपीलार्थी ने कुछ भूमि वाणिज्यिक कुछ भूमि आवासीय करवा ली और 1/2 हिस्सा उपरोक्त खसरा नम्बरान् का छोटू पुत्र सेवला से भी खरीद कर लिया जिसमें अब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम वर्तमान खातेदारी भूमि 4710/78, 4716/80, 4719/79, 4720/79 कुल किता 04 रकबा 0.4411 है0 है जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा शुरू से ही रहा है जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बिना किसी सहमति से आवासीय व वाणिज्यिक रूपान्तरण करवा लिया एवं खसरा नम्बर 77 का अब 77/1 रकबा 0.862, 77/2 रकबा 0.0164, 77 रकबा 0.169 बना है जो गै.मु. सडक व गै.मु. रास्ता है। उक्त भूमि को विक्रय करने को तैयार है और अपीलार्थी को अपने हिस्से की भूमि देने से मना कर दिया इसलिए दिनांक 02/10/2020 को यह वाद कारण उत्पन्न हुआ इसलिए अपील करने की आवश्यकता हुई।

6. यह है कि नामान्तरकरण की नकल दिनांक 01/10/2020 को मिली इसलिए अपील देरी से प्रस्तुत की है। देरी से छूट चाहने हेतु धारा 5 मर्यादा विधि अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है, जो अपील श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है तथा सुने जाने का अधिकार है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर में नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 03/11/2001 को अपास्त फरमाया जाकर खाता संख्या 187 में दर्ज खसरा नम्बर 4710/78 रकबा 0.0186, 4716/80 रकबा 0.1875, 4719/79 रकबा 0.0111, 4720/19 रकबा 0.2239 कुल किता 4 रकबा 0.4411 का पुनः सुनवायी दोनों

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

पक्षों की किया जाकर अपीलार्थी को महादेव पुत्र सेवला का ब हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

7. अपीलार्थी द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गई रिपोर्ट समायत पाई जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट की तल्बी एवं सूचना हेतु विधि अनुरूप सम्मन नोटिस जारी किये गये, बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से भी आनन्द सिंह शेखावत एडवोकेट उपस्थित आकर जवाब अपील पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

8. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत किया जवाब में वर्णित किया है कि अपीलार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है।

अपील में वर्णित महादेव अपीलार्थी का पिता कभी भी नहीं रहा बल्कि अपीलार्थी रूडाराम का लडका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामकुवार पुत्र महादेव है ही एक मात्र महादेव की संतान है। अपीलार्थी का जन्म गंगा देवी पत्नी रूडा से हुआ है और रूडा की मृत्यु के बाद हुआ है। रूडाराम महादेव का भाई था। महादेव का गंगा देवी से कभी भी नाता विवाह नहीं हुआ। अपीलार्थी गंगा का पुत्र था जो रूडा की पत्नी थी। अपीलार्थी के राशन कार्ड मतदान पहिचान पत्र, मतदाता सूची एवं जो कार्ड आदि में अपीलार्थी का पिता का नाम रूडा ही दर्ज है। अपीलार्थी महादेव का कभी भी वारिस नहीं रहा है। यदि महादेव का अपीलार्थी वारिस होता तो सभी दस्तावेजात् में अपीलार्थी का पिता का नाम महादेव होता। जब अपीलार्थी महादेव का पुत्र ही नहीं है तो उसको किसी प्रकार का बंटवारा करने का प्रश्न ही नहीं उढता है। रामकुंवार एवं छोटू के मध्य काफी अर्से पहले उक्त भूमि का बंटवारा हो गया था। अपीलार्थी एवं अन्य परिवारजनों ने रेस्पोडेन्ट व छोटू के खिलाफ सेवला की विरासत का खाता खुलाने से नामान्तरकरण की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर एवं नामान्तरकरण खोलने के आदेश की अपील न्यायालय एडीएम कोटपूतली के यहां अपील संख्या कमशः 05/2017, 14/2017 पेश की है, जिसमें अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के साथ लिखित सहमति पत्र इकरारनामा लिखकर दिनांक 15/7/2020 को नोटेरी पब्लिक को तस्दीक कराया है जिसमें स्वयं का रूडाराम का पुत्र बताया है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अब द्वितीय पक्ष का उक्त तन्हा सम्पत्ति से किसी प्रकार का हित एवं सम्बन्ध नहीं है ओर इसी आधार पर अपीले विड्रा की है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की शुरू से ही जानकारी थी ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण के खिलाफ देरी की छूट नहीं मिल सकती इसके अलावा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब में वर्णित विशेष कथन में वर्णित किया है कि वर्तमान में भूमि वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण हो चुका है, जिसमें राजस्व न्यायालय सुनने का कोई अधिकार नहीं है।

महादेव व छोटू पुत्र सेवला के हक में विरास का नामान्तरकरण खुला था । उक्त नामान्तरकरण के खिलाफ अपील न्यायालय एसडीओ विराटनगर में अपील संख्या 05/2017 रामकिशन बनाम छोटू वगैरह एवं तहसीलदार विराटनगर द्वारा नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश 28/11/1973 के खिलाफ न्यायालय अति. जिला कलक्टर के समक्ष अपील संख्या 14/2017 पेश की गयी थी जिसमें धूणीलाल भी पक्षकार था। उक्त अपीलों में अपील

(6)
जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

कर्ताओं एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा भी हो गया था एवं उक्त राजीनामा के आधार पर अपीले विड्रा कर ली गयी थी। उक्त राजीनामा का इकरारनामा भी लिखा गया था, जिसमें अपीलार्थी धूणीलाल पुत्र रूड़ाराम के नाम से पक्षकार था एवं इकरारनामा/सहमतिकर्ता प्रथम पक्ष में शामिल था, जिसमें द्वितीय पक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व छोटू से यह इकरारनामा भी किया था कि अब स सम्पत्ति से प्रथम पक्ष का कोई हित या सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके अलावा भी इस भूमि के पेटे अपीलार्थी ने दिनांक 15/7/2020 को धूणीलाल पुत्र रूड़ाराम एवं धूणीलाल पुत्र महादेव प्रसाद बुनकर दोनो ही हैसियत से रूपये 800000/– आठ लाख रूपये मात्र प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को रसीद भी लिख कर दी है। अब उसका और उसके वारिसान का भविष्य से उक्त भूमि ख.नं. 77, 78, 79 व 80 से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तमाम तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। इसलिए अपील खारिज फरमावें।

9. यह है कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की है जो संलग्न पत्रावली है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता महादेव के नाम ग्राम ढाणी गैसकान में खातेदारी भूमि थी, जो महादेव छोटू पिता सेवला के नाम खाता संख्या 84 में दर्ज थी जिसके खसरा नम्बर 77, 78, 79 व 80 कुल किता 4 रकबा 1.05 है0 है। जो बाद में सडक में जाने से रकबा 0.9638 है0 ही रह गयी । अपीलान्ट के पिता महादेव का स्वर्गवास दिनांक 22/10/2001 को हो जाने से तहसीलदार विराटनगर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 03/11/2001 को भरा गया जिसमें अपीलार्थी का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा नहीं डलवाया गया और अपीलार्थी को कहा कि अपन भाई है तेरे से मौके पर जमीन ले रखी है। इस कथन पर भरोसा कर उक्त नामान्तरकरण की कही भी अपील वगैरह नहीं की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तत्कालीन सरपंच ढाणी गैसकान से मेल जोल रखता था इसलिए महादेव की मृत्यु के बाद सजरा खानदान में मृत्यु प्रमाण–पत्र के पिछे अपीलार्थी का नाम नहीं दिलवाया जबकि अपीलार्थी की मॉं से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता ने शादी ना करके उससे नातेदारी सम्बन्ध स्थापित किये थे जिसके दौरान अपीलार्थी का जन्म हुआ था क्योंकि अपीलार्थी की मॉं गंगा देवी मूल रूप से महादेव के भाई रूड़ा की पत्नी थी। रूड़ा राम का स्वर्गवास होने के उपरान्त अपीलार्थी की मॉं गंगा देवी का महादेव के साथ नाता कर दिया या जिस दौरान ही अपीलार्थी महादेव का पुत्र बना है। इस कारण महादेव की सम्पत्ति में अपीलार्थी का अधिकार उत्पन्न हुआ है। अपीलार्थी का जन्म रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से पहले हुआ है। इसलिए असली उत्तराधिकारी अपीलार्थी ही है, लेकिन महादेव की मृत्यु होने पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र के पिछे जो कुर्सीनामा बनाया गया है उसमें अपीलान्ट का नाम नहीं डलवाया क्योंकि तत्कालीन समय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वार्ड पंच के पद पर था और पढा लिखा था। अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति था। अपीलार्थी की सहमति से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पगडी बंधी थी क्योंकि अपीलान्ट की माता गंगा देवी से नाता हुआ था ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की माता विवाहित होकर आई थी इसलिए परिवार के लोगों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पगडी बंधाई थी तथा उसी समय तय किया गया था कि सम्पूर्ण जमीन दोनों की आधी–आधी रहेगी। इसी आधार पर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपना जीवन निर्वाह करते रहे। अपीलान्ट द्वारा कई बार ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान से सजरा खानदान बनाने की कोशिश की गयी किन्तु रेस्पोन्ट संख्या 01 द्वारा सजरा खानदान नहीं बनने दिया गया। इसलिए अपीलार्थी ने अपील के साथ रा.उ.मा. विद्यालय ढाणी गैसकान का एक दस्तावेजात् पेश किया है, जिसमें अपीलार्थी का पिता का नाम महादेव प्रसाद बुनकर और मॉ का नाम गंगा देवी है जिसमें अपीलार्थी का जन्म 15/7/1973 है एवं पिता का नाम महादेव है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम अपीलार्थी की भूमि ख.नं. 77, 78, 79 व 80 जो नम्बर है जिनको कुछ आवासीय वाणिज्यिक कराने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खातेदारी भूमि 4710/78, 4716/80, 4719/79, 4720/79 कुल किता 4 रकबा 0.4411 हैक्टर है जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा शुरू से ही है, जिनको रेस्पोडन्ट संख्या 01 द्वारा बिना किसी सहमति से आवासीय व वाणिज्यि रूपान्तरण करवा लिया एवं ख.नं. 77 अब 77/1 रकबा 0.862, 77/2 रकबा 0.164, 77 रकबा 0.169 हैक्टर बना है जो गै.मु. सडक एव गै.मु. रास्ता है। उपरोक्त भूमि का विक्रय करने को तैयार है तथा अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि को देने से मना कर दिया इसलिए दिनांक 02/10/2020 को यह वाद उत्पन्न हुआ है, जिसकी नकल प्राप्त कर अपील पेश की गयी है देरी से अपील प्रस्तुत करने हेतु मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र दफा–5 अलग से पेश किया है। इसलिए नामा.सं. 142 दिनांक 03/11/2001 को अपास्त किया जाकर खाता संख्या 187 में दर्ज खसरा नम्बरान् की पुनः दोनों पक्षों की सुनवायी कर अपीलार्थी को महादेव पुत्र सेवला के ब हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की अपील स्वीकार फरमावें इसके समर्थन में अपीलान्ट की और से मतदाता सूची मृत्क रूडाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अपीलान्ट के नामा रा.उ.मा.वि. ढाणी गैसकान द्वारा जारी टी.सी प्रमाण पत्र बुक नं. 55 कम संख्या 77 दस्तावेजात् संलग्न पत्रावली है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में यह भी कथन किया है कि रूडाराम 1965 में ही भर गया था तो धुणीलाल उससे कैसे पैदा हुआ धुणीलाल की मॉ गंगा देवी जिसने महादेव से नाता कर लियाा था उससे ही धुणीलाल अपीलान्ट का जन्म हुआ है। इकरारनामा में भी अपीलान्ट की सही उम्र नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वकील द्वारा यह कथन किया है कि अपीलान्ट महादेव का पुत्र नहीं है तो यह बताये कि धूणीलाल का जन्म कब हुआ है। रूडाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र गलत बनाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट महादेव का पुत्र है। इसलिए नामा.सं. 142 दिनांक 03/11/2001 को अपास्त किया जावें तथा महादेव पुत्र सेवला के हिस्से अनुसार अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

10. रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया गया जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधर पर पेश की गयी है। अपीलार्थी महादेव का पुत्र कभी नहीं रहा है बल्कि अपीलान्ट रूडा का पुत्र है। महादेव के एक मात्र संतान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामकुंवार ही है। अपीलाथी का जन्म उनकी माता गंगा देवी पत्नी रूडाकराम से हुआ है, जो रूडा की मृत्यु के बाद हुआ है। रूडाराम महादेव आपस से सगे भाई थे महादेव का गंगा देवी का कभी नाता विवाह नहीं रहा है। अपीलार्थी गंगा देवी का

Scanned with CamScanner

पुत्र था जो रूडा की पत्नी थी अपीलान्ट के दस्तावेजात् राशन कार्ड मतदाता पहिचान पत्र मतदाता सूची एवं जोब कार्ड आदि में अपीलार्थी के पिता का नाम रूडा ही दर्ज है। अपीलार्थी महादेव का कभी भी वारिस नहीं रहा है। यदि अपीलान्ट महादेव का वारिस होता तो अपीलार्थी के पिता का नाम महादेव होता जब अपीलान्ट महादेव का पुत्र ही नहीं है तो बंटवारा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलार्थी एवं अन्य परिवारजनों ने रेस्पोडेन्ट एवं छोटू के विरूद्ध सेवला की विरासत का खाता खुलवाने से नामा. की अपील 05/2014 उपखण्ड अधिकारी विराटनगर तथा नामा. खोलेन के आदेश के विरूद्ध अपील 14/2017 न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां पेश की गयी थी जिसमें अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के साथ लिखित सहमति पत्र इकरारनामा लिखाया गया है जिसमें स्वयं ने रूडाराम का पुत्र बताया है जिसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया है। उक्त सहमति इकरारनामा में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अब द्वितीय पक्ष का तन्हा सम्पत्ति से किसी प्रकार का हित एवं सम्बन्ध नहीं है। इसी आधार पर उक्त अपील विड्रा की गयी है। नामा. सं. 142 वाके ग्राम ढाणी गैसकान की शुरू से ही अपीलान्ट को जानकारी थी 20 वर्ष बाद अपील लेकर आया है। महादेव की मृत्यु 2001 में हुयी है। वोटर लिस्ट 2020 की पेश की है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी गलत पेश किया है। उक्त अपीलों में अपीलकर्ताओं एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया था उक्त राजीनामा के आधार पर अपीले विड्रा हुयी है जिसमें अपीलान्ट धूणीलाल पुत्र रूडाराम भी पक्षकार था इसके अलावा भी इस भूमि के पेटे अपीलार्थी ने 15/7/2020 को धूणीलाल पुत्र रूडाराम धूणीलाल पुत्र महादेव प्रसाद बुनकर दोनों ही हैसियत से 800000/- आठ लाख रू. मात्र प्राप्त कर रेस्पोन्ट संख्या 01 को रसीद भी लिख दी है अब उसका एवं उसके वारिसान का भविष्य में उक्त भूमि ख.नं. 77, 78, 79 व 80 से कोई सम्बन्ध वास्ता नही रहेगा इसके साथी ही वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी कहा कि अपीलान्ट द्वारा पिता का नाम गलत जुडवाने बाबत से इसका रेस्पोडेन्ट ने Obejection भी किया गया था। ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान का जोब कार्ड है, उसमें धूणीलाल अपीलान्ट का पिता का नाम रूडाराम है। 1997 के राशन कार्डमें अपीलान्ट के पिता का नाम रूडाराम है। वर्ष 1995 एवं 2014 की वोटर लिस्ट में भी पिता का नाम रूडाराम है। इस भूमि बाबत पहले भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां केस चला था जिसे विड्रो कराया जाकर फैसला करा लिया तथा इस भूमि के पेरे अपीलान्ट द्वारा पैसें भी प्राप्त कर लिये है तथा राजीनामा भी पेश किया है। इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें।

11. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया तो पाया कि ग्राम ढाणी गैसकान का विरासत का भरा गया नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 03/11/2001 द्वारा स्वीकार तहसीलदार विराटनगर के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि मृतक महादेव की विरासत का नामा. भरते समय अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान से मृत्यु प्रमाण पत्र के पिछे मृतक महादेव के सजरा खानदान अपने अकेले के नाम दर्ज कराया है। क्योंकि अपीलान्ट की माँ गंगा देवी महादेव के नाते चली

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

वारिस नहीं रहा है। यदि अपीलान्ट का पिता महादेव होता तो अपीलान्ट के दस्तावेजातों में भी उनके पिता का नाम महादेव होता जब अपीलार्थी एवं अन्य परिवारजनों ने रेस्पोडेन्ट एवं छोटू के विरूद्व सेवला की विरासत का नाम. के बाबत अपील 05/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर तथा नामा. खोलने के आदेश के विरूद्व अपील संख्या 14/2017 न्यायालय अति. जिल कलक्टर कोटपूतली के यहां पेश की गयी थी जिसमें अपीलार्थी स्वयं पक्षकार था जिसमें अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के साथ लिखित सहमति पत्र इकरारनामा लिखाया गया है जिसमें स्वयं अपीलान्ट ने रूडाराम का पुत्र बताया है जो नोटेरी पब्लिक से तसदीकशुदा है। उक्त सहमति इकरारनामा में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अब द्वितीय पक्ष का तन्हा सम्पत्ति में किसी प्रकार का हित एवं सम्बन्ध नहीं है। इसी आधार पर उक्त अपीले विड्रा की गयी है। इस प्रकार उक्त नामा. की अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी उक्त नामा. के विरूद्व 20 वर्ष पश्चात् अपील लेकर आया है। महादेव की मृत्यु 2001 में हुयी है। वोटर लिस्ट भी 2020 की पेश की है तथा मुत्यु प्रमाण पत्र भी गलत पेश किया है। उक्त अपीलों में अपीलकत्ताओं एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया था उक्त राजीनामा के आधार पर ही उक्त अपीले विड्रो कराकर खारिज करायी गयी है जिसमें अपीलान्ट धूणीलाल पुत्र रूडारामा भी पक्षकार था। इसके अलावा धूणीलाल (अपीलार्थी) ने उक्त भूमि के बेटे दिनांक 15/7/2020 को धूणीलाल पुत्र रूडाराम एवं धूणीलाल महादेव प्रसाद बुनकर दोनों ही हैसियत से 800000/– आठ लाख रू. मात्र प्राप्त कर रसीद रेस्पोडन्ट को लिख दी गयी है कि भविष्य में उसका एवं उसके वारिसान का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं रहेगा। अपीलान्ट द्वारा मतदाता सूची में पिता का नाम महादेव जुडवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया गया इसके लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया था। ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान का जोब कार्ड है उसमें अपीलान्ट धूणीलाल का पिता का नाम रूडाराम है। 1997 को जारी राशन कार्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम रूडाराम है तथा वर्ष 1995 व 2014 की वोटर लिस्ट में भी अपीलान्ट के पिता का नाम रूडाराम है तथा उक्त भूमि का रूपान्तरण भी करवा लिया गया है जिसके उपरान्त उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने का अधिकार नहीं रहा है। यदि अपीलान्ट धूणीलाल रूडा का पुत्र ना होकर महोदव का होना बताता है तो सिविल न्यायालय में उत्ताधिकारी घोषित करावे तब ही अधिकार प्राप्त होगें इसलिए अपीलाट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमावें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी का ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान का जोब कार्ड बना हुआ है उसमें अपीलान्ट घूणीलाल का पिता का नाम रूडाराम है। अपीलान्ट का राशन कार्ड वर्ष 1997 में बना हुआ है। उसमें भी अपीलान्ट का पिता का नाम रूडाराम दर्ज है। वर्ष 1995 एवं वर्ष 2014 की वोटर लिस्ट में अपीलान्ट के पिता का नाम रूडाराम लिखा हुआ है। उक्त सभी दस्तावेजातों में अपीलान्ट का पिता का नाम रूडाराम होना पाया जाता है। उक्त नामा.सं. 142 की अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी। अपीलान्ट द्वारा अपने पिता रूडाराम के स्थान पर महादेव जोडे जाने की कार्यवाही में रेस्पोडन्ट संख्या एक द्वारा इस की निर्वाचन अधिकारी (एसडीओ) विराटनगर के यहां अपात्ति

Scanned with CamScanner

गयी थी, जिसके दौरान अपीलार्थी का जन्म हुआ था। अपीलान्ट की माता गंगा देवी रूडाराम की विवाहित पत्नी थी। रूडाराम व महादेव पुत्र सेवला सगे भाई थे जिसमें रूडाराम बड़ा भाई था । रूडाराम की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट की माँ गंगा देवी महादेव के चली गयी जिससे अपीलान्ट धूणीलाल पैदा हुआ था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पढा लिखा एवं तत्कालीन समय में पंच के पद पर रहते हुए ग्रा.पं. ढाणी गैसकान से अपीलान्ट का सजा खानदान में नाम अंकित नहीं कराने दिया तथा अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 यह कहता रहा कि अपन भाई है और तेरे से मौके पर जमीन ले रखी है। इस बात का भरोसा दिलाता रहा । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मृत्क महादेव के बाद में पैदा हुआ अपीलान्ट पहले पैदा हुआ था। अपीलान्ट की सहमति एवं परिवारजनों के कहने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के महादेव की मृत्यु होने पर पगडी बांधी गयी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम जो अपीलार्थी की भूमि ख. नं. 77, 78, 79 व 80 जो नम्बर है, जिनको कुछ भूमि आवासीय, कुछ भूमि वाणिज्यिक करवा ली अब वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खातेदारी भूमि 4710/78, 4716/80, 4719/79, 4720/79 कुल किता 4 रकबा 0.4411 हैक्टर जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा शुरू से ही रहा है। उक्त भूमि को रेस्पोडन्ट संख्या 01 द्वारा बिना सहमति से आवासीय व वाणिज्यिक रूपान्तरण करवा लिया तथा ख.नं. 77 का अब 77/1 रकबा 0.862, 77/2 रकबा 0.164, 77 रकबा 1.69 बना है, जो गै.मु. सडक एवं गै.मु. रास्ता है। उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विक्रय करने को तैयार है और अपीलार्थी को अपने हिस्से की भूमि को देने से साफ मना कर दिया इस कारण से यह वाद उत्पन्न हुआ जबकि अपीलान्ट की माँ गंगा देवी महादेव के नाते की पत्नि थी जिसस अपीलान्ट पैदा हुआ है। अपीलार्थी रा.उ.मा.वि. ढाणी गैसकान से जारी टी.सी प्रमाण पत्र में अपीलार्थी धूणीलाल का पिता का नाम महोदव प्रसाद बुनकर ओर माँ का नाम गंगा देवी है जिसमें अपीलार्थी की जन्म दिनांक 15/7/1973 है। विकास अधिकारी पं.सं. विराटनगर द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड कमांक 2021 में धूणीलाल पुत्र महादेव बलाई अंकित है तथा आधार कार्ड में भी धूणीलाल बलाई पुत्र महादेव प्रसाद बलाई बलाईयों का मौहल्ला ढाणी गैसकान का अंकन है। इस प्रकार समस्त दस्तावेजात् में यह साबित है कि अपीलान्ट धूणीलाल महादेव का पुत्र है। अतः नामा.सं. 142 दिनांक 3/11/2001 वाके मौजा ढाणी गैसकान को अपास्त फरमाया जावे तथा खाता संख्या 187 में दर्ज खसरा नम्बरान् की पुनः सुनवायी दोनों पक्षों की की जाकर अपीलार्थी को महादेव पुत्र सेवला के बहिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण की अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गयी है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक मृत्क महादेव का जायन्दा पुत्र एक मात्र वारिस है। अपीलार्थी का जन्म उनकी माता गंगा देवी पत्नी रूडाराम से हुआ है। अपीलार्थी महादेव का पुत्र कभी नहीं रहा है। महादेव ओर रूडाराम आपस में सगे भाई थे। महादेव के साथ गंगा देवी का कभी नाता विवाह नहीं रहा है । अपीलार्थी गंगा देवी का पुत्र था जो रूडा की पत्नी थी । अपीलान्ट के सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, मतदाता सूची एवं जॉब कार्ड आदि में अपीलार्थी के पिता का नाम रूडाराम ही है। अपीलार्थी महादेव का कभी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

करना भी वकील रेस्पोडेन्ट ने अवगत कराया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम भूमि है उसका रूपान्तरण भी कराया जा चुका है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य नामान्तरकरण बाबत अपील सं. 05/2014 न्यायालय एसडीओ विराटनगर तथा नामा. खोलने के आदेश के विरूद्व अपील संख्या 14/2017 न्याया.अति. कलक्टर कोटपूतली में विचाराधीन अपीलों में राजीनामा पेश कर विड्रो करायी जाकर दोनों अपीलें खारिज करायी हैं जिसमें अपीलार्थी भी स्वयं पक्षकार रहा है। अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के साथ सहमति इकरारनामा लिखा गया है। उक्त सहमति इकरारनामा में लिखा होना पाया गया कि अब द्वितीय पक्ष का तन्हा सम्पत्ति में किसी प्रकार का हित एवं सम्बन्ध नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि 15/7/2020 को धूणीलाल पुत्र रूडाराम एवं धूणीलाल पुत्र महादेव दोनों ही हैसियत से 800000/– आठ लाख रू. मात्र उक्त भूमि के पेटे प्राप्त कर लिये है । अपीलान्ट को यह सब जानकारी होते हुए भी उक्त नामा. को खारिज कराने हेतु दिनांक 12/10/2020 को अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है जो बिना तथ्यों के आधार पर पेश की है। अपीलान्ट कभी भी महादेव का पुत्र नहीं रहा है। महादेव का असली जायन्दा पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामकुंवार ही है। अपीलान्ट धूणीलाल माता गंगा देवी पत्नी रूडाराम का पुत्र है यदि अपीलान्ट धूणीलाल महादेव का पुत्र भी मानता है तो सिविल न्यायालय में अपना उत्तराधिकारी घोषित कराता इसके बाद ही अधिकार प्राप्त होते है। इसलिए स्कूल के दस्तावेजात् के आधार पर अपीलान्ट को महादेव का वारिस बताया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथो से अपील लेकर नहीं आया है। साक्ष्य सबूतों के अभाव में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को साबित करने में अपीलान्ट असफल रहा है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

12. अतः उपरोक्त विवेच के फलवरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

13. निर्णय आज दिनांक 29.12.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner